

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2934]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 2934]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3914(अ).—जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की उप-धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा जिपमेर, पुडुचेरी के संस्थान निकाय का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:—

क. पदेन सदस्य [उप-धारा 5(1) (क)-(ज) के अंतर्गत]

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव, भारत सरकार, पदेन;

(ख) पुडुचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति, पदेन;

(ग) तमिलनाडु डाक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु का कुलपति, पदेन;

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, पदेन;

(ङ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(च) मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार, पदेन;

(छ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार अथवा उनका नामिती (संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं), पदेन;

(ज) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार अथवा उनका नामिती (संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं), पदेन;

ख. सात नामित सदस्य [उप-धारा 5(1) (झ) के अंतर्गत]

- (1) प्रोफेसर रामकृष्णा रामास्वामी, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश
- (2) डा. एम.के. भान, पूर्व सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
- (3) डा. वी. मोहन, अध्यक्ष, एवं प्रमुख, मधुमेह विज्ञान, डा. मोहन मधुमेह विशेषज्ञता केन्द्र, चेन्नई
- (4) श्री एस.एम. मेहंदले, वैज्ञानिक एवं निदेशक, राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान, चेन्नई
- (5) श्रीमती नीला गंगाधरन, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- (6) डा. रमन कटारिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- (7) प्रोफेसर (डा.) फैजान मुस्तफा, कुलपति, नल्सर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

ग. चार नामित सदस्य [उप-धारा 5(1) (ञ) के अन्तर्गत]

- (1) प्रोफेसर के. एल. एन राव, एचओडी (बाल शल्य चिकित्सा), पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़
- (2) डा. सांता सिंह, संकाय अध्यक्ष, एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग
- (3) डा. के. एच. केनचप्पा, पूर्व सीनेट सदस्य राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूर।
- (4) प्रोफेसर डा. के. पोन्नराज, स्नायु शल्य चिकित्सा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, निम्हांस, बंगलौर।

घ. संसद के निर्वाचित सदस्य [उप-धारा 5(1)(ट)]

जेआईपीएमईआर (जिपमेर), पुडुचेरी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार।

ड. पदावधि और रिक्तियां

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां जिपमेर, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उपबंधों द्वारा अधिशासित होंगी।

[फा.सं. ए-12034/32/2008-एमई-(iii)]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2013

S.O. 3914(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Central Government hereby constitutes the Institute Body of JIPMER, Puducherry consisting of the following members :—

A. Ex-officio Members [under Sub-Section 5(1) (a) – (h)]

- (a) Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of Health and Family Welfare, ex officio;
- (b) The Vice-Chancellor of the Puducherry University, ex officio;
- (c) The Vice-Chancellor of the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Tamil Nadu, ex officio;
- (d) The Director-General of Health Services, Government of India, ex officio;
- (e) The Director of the Institute, ex officio;
- (f) Chief Secretary, Government of Puducherry, ex officio;
- (g) Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, ex officio;

- (h) Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, ex officio;

B. Seven Nominated Members [under Sub-Section 5 (1) (i)]

1. Prof. Ramakrishna Ramaswamy, Vice-Chancellor, University of Hyderabad, A.P.
2. Dr. M.K. Bhan, Formerly Secretary, Department of Biotechnology, New Delhi.
3. Dr. V. Mohan, Chairman & Chief of Diabetology, Dr. Mohan's Diabetes Specialities Centre, Chennai.
4. Shri S.M. Mehendale, Scientist & Director, National Institute of Epidemiology, Chennai.
5. Smt. Neela Gangadharan, IAS (Rtd.), Former Secretary to Government of India, Ministry of Women & Child Development.
6. Dr. Raman Kataria, Jan Swasthya Sahyog, Bilaspur, Chhattisgarh.
7. Prof. (Dr.) Faizan Mustafa, Vice-Chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad, A.P.

C. Four Nominated Members [under Sub-Section 5 (1) (j)]

1. Prof. K.L.N. Rao, HOD (Paediatric Surgery), PGIMER, Chandigarh.
2. Dr. Santa Singh, Dean, NEIGRIHMS, Shillong.
3. Dr. K.H. Kenchappa, Former Senate member of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore.
4. Prof. (Dr.) K. Ponraj, Prof. of Neurosurgery, NIMHANS, Bangalore.

D. Elected Members of Parliament [under Sub-Section 5(1) (k)]

As per provisions of the JIPMER, Puducherry Act, 2008.

E. Term of Office and Vacancies

The terms of office and vacancies among members shall be governed by the provisions under Section 6 of JIPMER, Puducherry Act, 2008.

[F. No. A.-12034/32/2008-ME (III)]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.